संख्या-126/2016/1590/26-3-2016-10(5)/2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 24 जून, 2016

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059के अन्तर्गत समाज कल्याण निदेशालय, कल्याण भवन के परिसर में भवन के निर्माण हेतु धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-97/2016/1156/26-3-2016-10(5)/2016, दिनांक-29-04-2016 के क्रम में निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-204-05/स0क0/ नजारत/2016-17 दिनांक-10-05-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059 के अन्तर्गत समाज कल्याण निदेशालय, कल्याण भवन के परिसर में भवन के निर्माण हेतु **प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रूपया-6,36,51,000/ (रूपये छः करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार मात्र)** की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्राविधानित **धनराशि रूपया-5,00,00,000/-(रूपये पाचं करोड़ के मात्र)** के सापेक्ष **धनराशि रूपया-2,50,00,000/-(रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)** व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाय।

2- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्कतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकारण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

3- बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपराइटरी सम्बन्धी कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराया जाय एवं इन मदों पर वास्तविक व्यय ही देय होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशालय समाज कल्याण का होगा।

4- क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। निर्माण के समय इन कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रायोजनान्तर्गत भवन निर्माण में कतिपय विशिष्टियां जैसे एल्युमूनियम पार्टीशन, वाल पेन्टिग, फाल्स सीलिंग आदि जो कि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, के प्रयोग पर नियमानुसार सक्षम स्तर (मा0 मंत्रिपरिषद) से अनुमोदन प्राप्त कर ही निर्माण कराया जाय।

2- शासनादेश संख्या-97/2016/1156/26-3-2016-10(5)/2016, दिनांक-29-04-2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-126/2016/1590 (1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

5- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

6- प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।

7 निदेशक, एन0आई0सी0।

8- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।